मेक इन इंडिया : विकसित भारत का लक्ष्य साधने के लिए सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देगी। वहीं, स्टार्टअप के लिए भी खोला जाएगा खजाना...

एमएसएमई को मजबूती, भारत में बने सामान से पटेगी दुनिया

10,000
करोड़ रुपये की राशि के साथ स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए नया फंड बनेगा

असर : नवाचार बढ़ेगा आसानी से मिलेगा ऋण

भारत को दुनिया का विनिर्माण हब बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने विकास के दूसरे इंजन यानी एमएसएमई की मजबूती पर पूरा जोर दिया। वहीं, स्टार्टअप को अधिक वित्त पोषण और आसान शर्तों के ऋण मुहैया कराने की सुविधा के साथ उद्यमशीलता और नवाचार बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे नवाचार, कारोबार और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे और भारतीय उत्पादों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का सपना साकार हो सकेगा। मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जो राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए नीतिगत समर्थन, प्रशासन और निगरानी ढांचा उपलब्ध कराएगा। यह मुख्यतः पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल करना, एमएसएमई क्षेत्र की गतिशीलता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करना है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और दो गुना तक बढ़ाने को भारतीय उत्पादों का विनिर्माण बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे देश के निर्यात को गति मिल सकती है। अभी यह क्षेत्र 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार के साथ विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान देते है। देश के कुल निर्यात में एमएसएमई के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की भागीदारी 45 प्रतिशत के करीब है। निवेश बढ़ने से क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और उनके लिए अपने कारोबार का विस्तार करना भी आसान होगा। कारोबार सुगमता के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले साल में पांच लाख रुपये की सीमा वाले 10 लाख विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

Photo : AI Generated

500 करोड़ रुपये वाली कंपनियां आएंगी दायरे में

एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण के तहत सालाना 10 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कोई कंपनी सूक्ष्म की श्रेणी में आएगी। इसी तरह 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनी को लघु उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। 500 करोड़ तक कारोबार करने वाली कंपनियों को मध्यम श्रेणी की इकाई माना जाएगा। अभी तक 5 करोड़ तक कारोबार वाली कंपनियां सूक्ष्म के दायरे में आती थीं जबकि 50 करोड़ तक कारोबार वाली कंपनियों को लघु और 250 करोड़ तक कारोबार वाली कंपनियों को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाता था।

50
करोड़ तक कारोबार वाली कंपनियां अभी लघु उद्योग के दायरे में

2.5 गुना निवेश से होगा विस्तार

एमएसएमई में निवेश की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब सूक्ष्म कंपनियों में 2.5 करोड़, लघु इकाई में 25 करोड़ और मध्यम उद्योग में 125 करोड़ तक निवेश होगा। अभी तक निवेश सीमा क्रमशः एक करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ थी। सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। इससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त डेढ़ लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा।

उभरते उद्यमियों के लिए मददगार होगा फंड ऑफ फंड्स, नियम होंगे आसान

फंड ऑफ फंड्स योजना से नया स्टार्टअप खोलने वालों को आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। इससे घरेलू पूंजी निवेश भी बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक वैकल्पिक निवेश निधियों को 91 हजार करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं।

उभरते उद्यमियों की राह आसान करने का किया गया है प्रयास